हमारे संस्करण :- भोपाल • इंदौर • जबलपुर • छिंदवाड़ा • ग्वालियर • उज्जैन • सागर • कटनी • रीवा • सतना एवं छत्तीसगढ़ रायपुर से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार
28.02.2025
वर्ष :13 , अंक : 302
पृष्ठ : 08, मूल्य: ₹ 2.00
www.citytoday.co.in
mynews.citytoday@gmail.com

सिटी टुडे

बदलते भारत के साथ सच की आवाज



भोपाल से पहले इंदौर प्रायोरिटी कॉरिडोर मे

03 | अपनी सिटी

भोपाल से पहले इंदौर में होगा 6 किमी के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर में मेट्रो का कमर्शियल रन



02

ज्ञान और बुद्धि के साथ विवेक देने वाले शिव पुत्र गणेशजी की आराधना कभी निष्फल नहीं होती



राजनीतिक | 05

एक देश-एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान



6

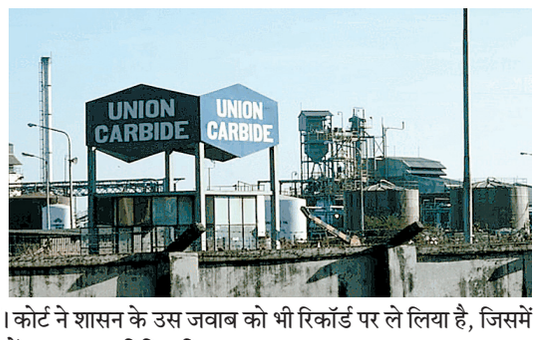
शुभमन बीमार और रोहित हुए चोटिल

सुप्रीम कोर्ट ने किया यूका मामले में दखल से इंकार

पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू...

इंदौर,ब्यूरो।

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का रास्ता साफ हो गया है। भोपाल से यह कचरा पीथमपुर लाया जा चुका है। सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र ने इस पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। गुरुवार सुबह मामले को लेकर हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो इस संबंध में हाई कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। कोर्ट ने शासन के उस जवाब को भी रिकॉर्ड पर ले लिया है, जिसमें कहा है कि कचरा जलाने के दौरान सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।



पिछली सुनवाई में सरकार से मांगा था जवाब

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा था कि धार जिले के पीथमपुर में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का कचरा जलाने के दौरान कोई घटना होगी, तो उससे निपटने के लिए उसके पास क्या इंतजाम हैं। गुरुवार को सरकार ने जवाब दाखिर कर दिया। याचिका में आरोप था कि कचरा जलाने के दौरान अकस्मात आपदा होने की स्थिति में आपदा प्रबंधन के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।

12 घंटे चलेगा ड्राई रन, शुक्रवार से कचरा जलाने का काम होगा शुरू

पीथमपुर में रि-सस्टेनेबिलिटी कंपनी के परिसर में पिछले दो माह से रखे यूनियन कार्बाइड के 337 टन कचरे के 12 कंटेनर में चार से पांच कंटेनर को गुरुवार को खोला जाएगा। कंटेनर से कचरे को निकालकर उसमें मौजूद हानिकारक तत्वों पर नियंत्रण के लिए सोडियम सल्फाइड जैसे रसायन मिलाए जाएंगे। गुरुवार को इंसीनरेटर में ड्राई रन शुरू किया गया और 12 घंटे तक इंसीनरेटर को चालू कर इसके प्रथम चेम्बर में 850 से 900 डिग्री सेल्सियस व दूसरे चेम्बर में 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद यूनियन कार्बाइड के कचरे को इंसीनरेटर में डालकर जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। संभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार गुरुवार से कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

याचिकाकर्ता की आपत्तियां खारिज

याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि पर्यावरण और स्वास्थ्य नियमों का पालन किए बगैर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने की तैयारी की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि जिस जगह कचरा जलाया जाना है, वहां से 250 मीटर दूर एक गांव है। एक किमी के दायरे में तीन अन्य गांव हैं, लेकिन स्थानीय नागरिकों को वैकल्पिक स्थान तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। कचरा जलाने के दौरान कोई हादसा होता है तो पीथमपुर में अस्पताल भी नहीं है।

हाई कोर्ट के आदेश पर जलाया जा रहा कचरा

उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करा रही है। इसके लिए जनवरी में 337 टन कचरे को भोपाल से धार जिले के पीथमपुर स्थित संयंत्र में लाकर उसे जलाने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने कचरे के जलने से उसकी जहरीले तत्वों का जलवायु पर दुष्प्रभाव होने की आशंका जताते हुए विरोध कर दिया था।

सीएम डा. यादव ने की थी घोषणा, अब कोर्ट ने दी मंजूरी

300 करोड़ की लागत से 12 साल पहले बना इंदौर का बीआरटीएस भी अब हटेगा

इंदौर,ब्यूरो।

12 साल पहले 300 करोड़ की लागत से बने इंदौर के बीआरटीएस को हटाने पर मप्र हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। बीआरटीएस को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसे हटाने की मंजूरी दे दी। अब एक दो दिन में नगर निगम बीआरटीएस की बस लेन हटाने का काम शुरू कर देगा। बता दें, तीन माह पहले इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीआरटीएस को हटाने की घोषणा कर हाईकोर्ट में इस बारे में पक्ष रखने की बात कही थी। भोपाल का बीआरटीएस हटाया जा चुका है। इंदौर के पुराने एबी रोड पर बने 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस के आठ प्रमुख जंक्शनों पर नगर निगम अब ब्रिज बनाना चाहता है। इसके लिए बीआरटीएस हटाने का फैसला लिया गया। हाईकोर्ट में बीआरटीएस हटाने के लिए याचिका लगी थी, लेकिन बीते कई वर्षों से नगर निगम बीआरटीएस की उपयोगिता बताते हुए अपना पक्ष रखता आ रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद नगर निगम ने खुद हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि सरकार बीआरटीएस हटाना चाहता है।



ट्रैफिक सुगम होगा : मेयर

इंदौर के मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने इस बारे में कहा कि याचिका में दोनों ही पक्ष बीआरटीएस हटाने पर सहमत थे, इसलिए कानूनी अड़चन नहीं आई। बीआरटीएस के हटने से शहर के ट्रैफिक में अलग सुगमता आएगी और ब्रिज भी बन सकेंगे। बीआरटीएस हटने से सड़क चौड़ी हो जाएगी। शुक्रवार से बस लेन हटाने का काम शुरू हो जाएगा। इंदौर के निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी प्रतिमा चौराहा तक बने बीआररटीएस पर फिलहाल एआईसीटीएसएल आई बसों का संचालन करता है।

सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश

नई दिल्ली,एजेंसी।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले पूर्व सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना मुख्यालय ने सभी कमांड को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे पूर्व सैनिकों की पहचान करें और एफआईआर दर्ज कराएं। जयपुर में एक पूर्व सैनिक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। नई दिल्लीः सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर भारतीय सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर सेना ने शिकंजा कसना शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक सेना हेडक्वॉर्टर की तरफ से सेना की सभी कमांड को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी पूर्व सैनिक अगर सोशल मीडिया पर सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व सैनिक के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है, साथ ही अलग अलग शहर में कुछ पूर्व सैनिक सेना के रडार में हैं। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में जिन पूर्व सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, वे एक यू-ट्यूब चैनल के जरिए लगातार सेना पर और सेना की कार्यशैली पर कई आरोप लगा चुके हैं। इसी तरह कुछ और पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है, इनमें कुछ वे पूर्व सैनिक भी शामिल हैं जो सेना से अनुशासनहीनता की वजह से निकाले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना हेडक्वॉर्टर की तरफ से सेना की सभी कमांड को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार सोशल मीडिया मॉनिटर करें और उन पूर्व सैनिकों की पहचान करें जो सेना की इमेज खराब कर रहे हैं, उनकी डिटेल निकालें, उनकी पहचान स्थापित करें और भारतीय न्याय संहिता सहित सभी उचित धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं।



महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना का सर्वे रुका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मांग पर अड़ीं

नागपुर,एजेंसी। महायुति सरकार ने खासतौर से महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई थी। विधानसभा चुनावों में सरकार को इस योजना से काफी फायदा हुआ। यह योजना चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई थी। इस योजना के लिए आवेदन करने वालों पर कुछ नियम और शर्तें भी लगाई गई थीं। हालांकि उस समय जो महिलाएं इन नियमों और शर्तों में फिट नहीं बैठती थीं, उन्होंने भी इस योजना का लाभ उठाया। अब यह साफ कर दिया गया है कि जो महिलाएं योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें योजना की किस्त नहीं मिलेगी। कुछ महिलाओं ने स्वेच्छा से अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। दरअसल लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये जमा किए जाते हैं। अब इस योजना में मापदंड कड़े कर दिए गए हैं और सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वहां सर्वे कराया जाएगा और नियम व शर्तों को पूरा न करने वाली महिलाओं के आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि हर जगह सर्वे किये जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि इससे लाडली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी।



नागपुर में सर्वे से इनकार क्यों?

अब नागपुर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लाडली बहना योजना पर सर्वे करने से इनकार कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के आवेदन भरने के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता अभी तक नहीं मिला है। यही कारण है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह सर्वे करने से इनकार कर दिया। सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लाडली बहना योजना के लिए आवेदन भरने पर पचास रुपये का प्रोत्साहन भत्ता देने जा रही थी।



पुत्रियां सभ्यता, संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का सशक्त हस्ताक्षर

एक महीने की बेटी की हत्यारी मां को उम्रकैद

भोपाल,ब्यूरो।

जब एक पुत्री का जन्म होता है तो यह इस बात का निश्चायक सबूत है, कि ईश्वर मानव जाति से अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर पुत्रियों के माध्यम से स्वयं को साकार रूप देता है। कवि रविन्द्र नाथ टैगोर इन पंक्तियों को अपने फैसले में शामिल करते हुए भोपाल के 23वें अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने गुरुवार शाम मासूम बेटी की हत्यारी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 104 पेज के निर्णय में विशेष टिप्पणी दी है। जिसमें कहा गया कि वर्तमान में पुत्रियां सभ्यता, संस्कृति व राष्ट्र निर्माण का सशक्त हस्ताक्षर हैं। शास्त्रों में पुत्रियों को हृदयों का बंधन, भावों का स्पंदन, सृजन का आधार, भक्ति का आकार और संस्कृति का संस्कार माना गया है। वर्तमान में भारत जैसे विकसित राष्ट्र में पुत्रियों को साहस, सृजन, सेवा, सभ्यता, सौंदर्य एवं शक्ति के पुंज के रूप मे देखा जा रहा है। बता दें कि भोपाल के खजूरी इलाके में मां ने ही पानी की टंकी में डुबोकर एक महीने की मासूम बेटी की हत्या कर दी थी। घटना 16 सितंबर 2020 की है। आरोपी मां फिलहाल जेल में बंद है। केस में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने पैरवी की थी। एक माह की किंजल मेवाड़ा ग्राम डहरिया थाना खजूरी निवासी सचिन मेवाड़ा की बेटी थी। सचिन गांव में खेती करता है और उसकी शादी करीब 14 माह पूर्व हुई। बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सचिन की एक माह की मासूम अचानक लापता हो गई। पत्नी से पूछने पर उसने कहा की बच्ची को प्रेत आत्माएं ले गई हैं। परिजनों ने तलाश शुरू की तो करीब चार बजे उसकी बॉडी प्लास्टिक के एक पानी के ड्रम में मिली। ड्रम का ढक्कन बंद था। बच्ची को आखिरी बार मां के साथ कमरे में देखा गया था। जबकि सचिन की मां और अन्य परिजन अपने-अपने कमरों में थे। खजूरी थाने के तात्कालीन टीआई एलडी मिश्रा का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह साफ था कि बच्ची की हत्या की गई है। शक की सुई उसकी मां पर थी। जांच के बाद मां को गिरफ्तार किया था। उसने पूछताछ में मां सरिता बाई मेवाड़ा ने बताया था कि उसे लड़के की चाहत थी। लड़की पैदा होने पर उसे बच्ची से नफरत हो गई थी। इसी के चलते उसने बेटी की हत्या की।

